

ॐ 7007

5

भारतीय नैऋत्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये

भारत



INDIA

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 796 796919



ओ३मु, विनिमय-पत्र (तबादलानामा)

स्टाम्प शुल्क मय आवास शुल्क अंकन 1,24,000/- रुपये।

हम कि योगेन्द्र पाल सिंह पुत्र स्व० श्री तेजपाल सिंह व श्रीमती रोशनी देवी धर्मपत्नी स्व० श्री तेजपाल सिंह व श्रीमती जोली धर्मपत्नी स्व० श्री सतेन्द्रपाल सिंह निवासीगण ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर तहसील सरधना जिला मेरठ -----प्रथमपक्ष।।

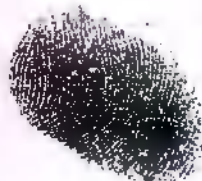
एवम

मैसर्स सृष्टि प्रमोटर्स प्रा०लि० (ए कम्पनी) द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री बी०आर० मिश्रा पुत्र स्व० श्री जी०पी० मिश्रा निवासी 159/10 शास्त्रीनगर, मेरठ शहर जिन्हें कम्पनी के बोर्ड आफ् डायरेक्टर्स की मिटिंग दिनांक 30-10-2013 ई० द्वारा इस हेतु अधिकृत किया गया है-----द्वितीयपक्ष।।

योगेन्द्र सिंह

रोशनी देवी

जोली



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



25000
Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



D 796918

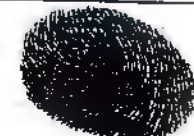
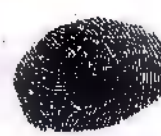
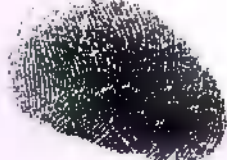
2

जो कि प्रथमपक्ष इस विलेख के अन्त में अनुसूचि अ में वर्णित कृषि भूमि भूमिधरी के संक्रमणीय भूमिधर, मालिक काबिज स्वामी है व अनुसूचि ब में वर्णित कृषि भूमि भूमिधरी द्वितीयपक्ष के स्वामित्व व काश्त की है तथा दोनों पक्षों का नाम राजस्व अभिलेखों फर्द खसरा खतौनी में बजरिये बो-जोत संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज स्वामी दर्ज है और अनुसूचि अ तथा ब में वर्णित भूमि दोनों पक्षों की ओर से आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से मुक्त एवं रहित है और प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को अपनी अपनी उक्त भूमि में प्रत्येक प्रकार का अधिकार प्राप्त है । दोनों पक्ष एक दूसरे से लाभ

मोहंदास

गिफ्त गेहानी

जेली



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये

25000
Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21 MAY 2014
D 796917

D 796917

:: 3 ::

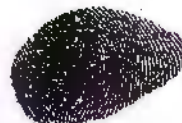
व कृषि हेतु उक्त भूमि के विनिमय के लिए उद्यत है तथा कोई वैध
प्राप्तिक दोष विनिमय में हम दोनों पक्षों के अधिकारों में बाधक नहीं है,
तथा प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष निम्न वर्णित भूमि विनिमय द्वारा ट्रांसफर
करने को तत्पर व तैयार है। अतः दोनों पक्ष स्वयं इच्छानुसार स्थिर
बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की अवस्था में बिना किसी दबाव व बहकाव के
यह विनिमय पत्र लिखकर रजिस्ट्री करा रहे हैं, जिसके हम दोनों पक्ष
और हमारे उत्तराधिकारीगण व स्थानापन्न निम्न लिखित प्रतिबन्धों से
आबद्ध होते हैं:-

1- यह कि प्रथमपक्ष ने अपनी कृषि भूमि भूमिधरी जो अनुसूची
'अ' में वर्णित है को द्वितीयपक्ष को कृषि भूमि भूमिधरी सूची 'ब' के

प्रतिबन्धित

गिरम शेशनी

जैली



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.
25000
पच्चीस हजार रुपये

भारत

25000

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

027 MAY 2014

D 796916

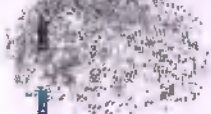
:: 4 ::

बदले में हस्तान्तरित कर दी और द्वितीयपक्ष उसका आज की तिथि से स्वामी हो गया है तथा द्वितीयपक्ष ने मौके पर अपना कब्जा कर लिया है। तथा प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को विनिमय द्वारा अन्तरित भूमि का व्यक्तिगत स्वामी व पूर्णतः अधिकारी तथा अपनी ही भांति मालिक काबिज स्वामी तथा दाखिल खारिज करा लेने का अधिकारी बना दिया तथा दाखिल खारिज में यदि प्रथमपक्ष के हस्ताक्षरों की या शपथपत्र देने की आवश्यकता होगी तो प्रथमपक्ष अपने हस्ताक्षर करने व शपथपत्र देने के पाबन्द व जिम्मेदार रहेगे। अब द्वितीयपक्ष को उक्त भूमि सूची 'अ' के सम्बन्ध में सर्वाधिकार प्राप्त रहेगे द्वितीयपक्ष उक्त भूमि को अपने प्रयोग में लाये, विक्रय करे, खेती करे, जिस प्रकार चाहे उपयोग करे, तथा ऋण आदि लेने व बन्धक करने व विक्रय पत्र/उपहारपत्र आदि विलेख द्वारा अन्तरित करने के समस्त अधिकार प्रथमपक्ष के समान द्वितीयपक्ष को प्राप्त रहेगे अर्थात् आज से उक्त भूमि में जो

प्रिमेड सिट

सि.म. रोगनी

जिले





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 634697

:: 5 ::

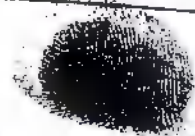
अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त थे वह समस्त अधिकार काश्तकार भूमिधरी सक्रमणीय भूमिधरी मालिकान आदि के द्वितीयपक्ष को प्राप्त हो गये है तथा विनिमय द्वारा प्राप्त भूमि में द्वितीयपक्ष सह खातेदार है।

2- यह कि द्वितीयपक्ष ने अपनी कृषि भूमि भूमिधरी जो अनुसूची 'ब' में वर्णित है को प्रथमपक्ष को कृषि भूमि भूमिधरी सूची 'अ' के बदले में हस्तान्तरित कर दी और दे दी, जिसके अब प्रथमपक्ष आज की तिथि से स्वामी हो गये हैं तथा द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष को व्यक्तिगत स्वामी व पूर्णतः अधिकारी तथा अपनी ही भांति मालिक काबिज स्वामी तथा दाखिल खारिज करा लेने का अधिकारी बना दिया तथा दाखिल खारिज में यदि द्वितीयपक्ष के हस्ताक्षरों की या शपथपत्र देने की आवश्यकता होगी तो द्वितीयपक्ष अपने हस्ताक्षर करने व शपथपत्र देने के आबन्द व जिम्मेदार रहेंगे तथा प्रथमपक्ष ने मौके पर अपना कब्जा कर लिया है अब प्रथमपक्ष को उक्त भूमि सूची 'ब' के

प्रमाणित

गैर न्यायिक

जीली





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 634698

:: 6 ::

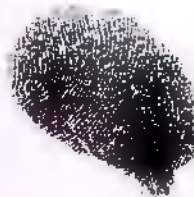
सम्बन्ध में सर्वाधिकार प्राप्त रहेंगे प्रथमपक्ष उक्त भूमि को अपने प्रयोग में लाये, खेती करें तथा ऋण आदि लेने व बन्धक करने व विक्रय पत्र/उपहारपत्र आदि विलेख द्वारा अन्तरित करने के समस्त अधिकार द्वितीयपक्ष के समान प्रथमपक्ष को प्राप्त रहेंगे अर्थात् आज से उक्त भूमि में जो अधिकार द्वितीयपक्ष को प्राप्त थे वह समस्त अधिकार काश्तकार भूमिधरी सक्रमणीय भूमिधरी मालिकान आदि के प्रथमपक्ष को प्राप्त हो गये हैं तथा विनिमय द्वारा प्राप्त भूमि में प्रथमपक्ष सह खातेदार है।

3- यहकि प्रत्येक पक्ष विनिमय की हुई भूमि पर बिना किसी रुकावट के कब्जा करके शान्ति पूर्वक भोग करने के अधिकारी होंगे तथा एक दूसरे पक्ष को आपस में एक दूसरे के अधिकारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न होगा व किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के अधिकारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा।

मिसे-डी.ए.

मि. अ. रोशनी

अली





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 634699

:: 7 ::

अतः यह विनिमय पत्र दोनो पक्षों की सहमति से लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो। इति।।

विवरण सम्पत्ति सूची नम्बर 'अ' जो प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को सूची भूमि 'ब' के बदले में दी है।

जो कि भूमि खाता नम्बर 00188 वर्ष फसली 1421-1426 के अनुसार का खसरा नम्बर 732 रकबई 0.0250 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 733 रकबई 0.0250 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 734 रकबई 0.2280 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 735 रकबई 0.1640 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 736 रकबई 0.1900 हैक्टेयर कुल नम्बरान पांच कुल रकबई 0.6320 हैक्टेयर पुख्ता भूमि का एक बटा पांच भाग जो उक्त खसरा नम्बरान में प्रथमपक्ष का अपना कुल हक व हिस्सा है यानि अन्तरित भाग केवल 0.1264 हैक्टेयर पुख्ता भूमि लगानी परता खाता स्थित ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सूरधना जिला मेरठ

AS
मो. अ. शेरनी

जिली





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 634700

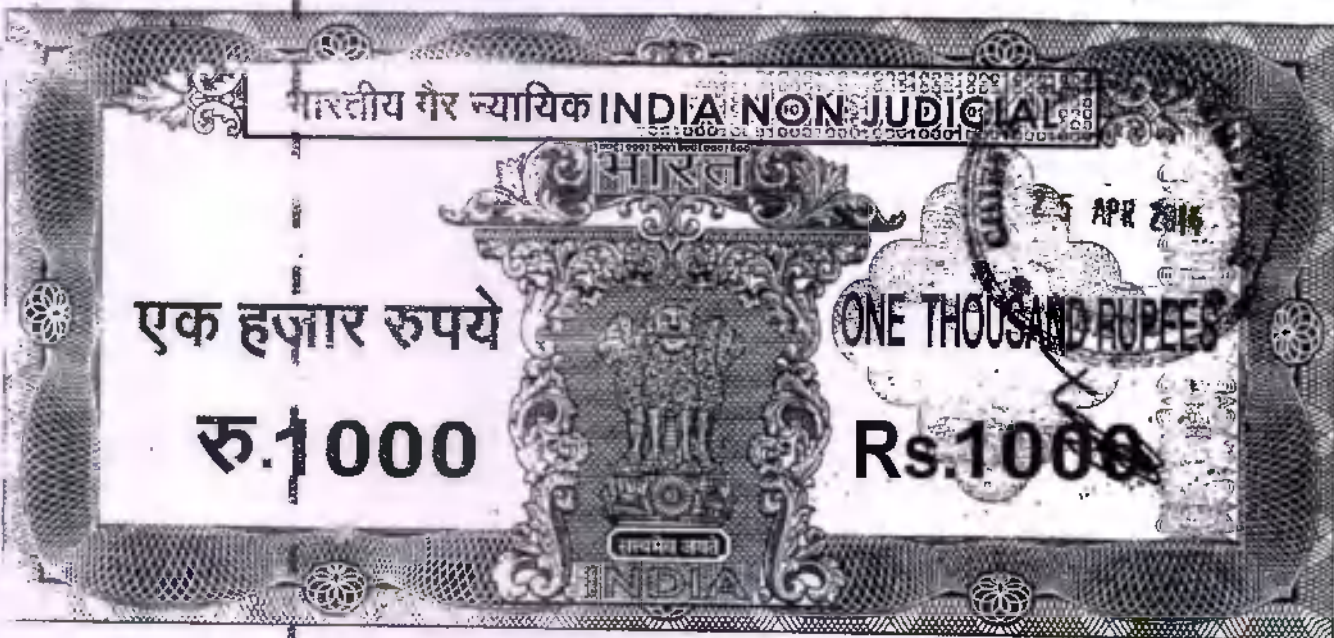
::8::

विवरण सम्पत्ति सूची नम्बर 'ब' जो द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष को सूची 'अ' के बदले में दी है।
जो कि भूमि खसरा नम्बर 669 रकबई 0.0130 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 670 रकबई 0.0690 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 671 रकबई 0.0690 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 672 रकबई 0.5690 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 673 रकबई 0.5500 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 675 रकबई 0.0690 हैक्टेयर कुल नम्बरान छः कुल रकबई 1.3390 हैक्टेयर पुख्ता भूमि का एक क्वाड्रंट भाग जो उक्त खसरा नम्बरान में द्वितीयपक्ष का अपना कुल हक व हिस्सा है यानि द्वितीयपक्ष का भाग केवल 0.2678 हैक्टेयर पुख्ता भूमि में से अन्तरित भाग केवल 0.1264 हैक्टेयर पुख्ता भूमि लगानी परता खाता स्थित ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौसला तहसील सरधना जिला मेरठ जो द्वितीयपक्ष के अपने कुल हक व हिस्से में से है

मोह-मुसिह किशोरेश्वरी

मोह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 638970

:: 9 ::

अन्य विवरण

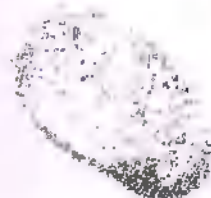
- 1- यहकि विनियम की गई कृषि भूमि भूमिधारी अर्द्ध नगरीय क्षेत्र में स्थित है।
- 2- विनियम पत्र पर स्टाम्प मालियत अंकन 17,70,000/- रुपये पर नियमानुसार अदा किया जा रहा है।
- 3- यहकि विनियम की गई कृषि भूमि भूमिधारी कृषि भूमि है, तथा संलग्न राजस्व रिकार्ड में कृषि ही दर्ज है तथा उक्त भूमि के दो सौ मीटर की त्रिज्या में खेती/अकृषक गतिविधियां हैं तथा उक्त भूमि दो फसली है, तथा सिचाई का साधन प्राइवेट पडौसी का नलकूप है, तथा उक्त भूमि की किस्म जमीन सेवटा है, व उक्त भूमि किसी भी राष्ट्रीय राज्य मार्ग, जनपदीय मार्ग या लिंक मार्ग पर

योगेन्द्र

राम शर्मा

जोषी

प्र



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 638971

स्थित नहीं है बल्कि कृषि भूमि के बीच स्थित है, तथा विलेख में
स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का अनुपालन सत्यता पूर्वक
किया जा रहा है, तथा प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष भारत के मूल
नागरिक हैं।

4. यहकि विनिमय किए गये दोनों भूमि का सर्किल रेट एक ही है
तथा प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष अन्तरित की गई / आपस में विनिमय
द्वारा प्राप्त की गई भूमियों में सहखातेदार है।



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

25 APR 2016

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 638972

:: 11 ::

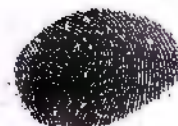
5- मूल्यांकन की गणना के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी दर सूची के अनुसार कृषि हेतु भूमि का सर्किल रेट 1,00,00,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित है किन्तु अन्तरित भूमि के दो सौ मीटर की ब्रिज्यामे अकृषिक गतिविधियां विद्यमान होने के कारण सर्किल रेट अंकन 1,20,00,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित है जिसके अनुसार मूल्यांकन करके स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

प्रमाणित

प्रमाणित

जोली

प्रमाणित





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 638973

:: 12 ::

6. अन्तरण भूमि के प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व आदिवासी आदि से सम्बन्धित नहीं है।

मोहम्मद अली
मि. व. रोशनी
जैव
मि. व. रानास/व. स. प. रानास
CH-31 Pallav Puram Phase I ST. Mot.
लिखित दिनांक 22-05-2014 ई. मसविदा एवं फोटो सत्यापन अरुण शर्मा
एडवोकेट, मेरठ।

Arun Sharma
M.Com, LL.B., Advocate
Registered Compound, Kutchery
Meerut (U.P.)

